M P AGRO

दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन

पंचानन भवन, तृतीय मंजिल,मालवीय नगर, भोपाल

0755- 2761392 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@ gmail.com

वर्ष 2021–22 तथा 2022–23 एवं आगे की अवधि में निगम के माध्यम

से

संकर सब्जी बीज

(Hybrid Vegitable Seeds)

के प्रदाय हेतु रेटाकंट्रेक्ट प्रपत्र

आनलाईन आवेदन प्रास्तुत करने की निर्धारित दिनांक 09.12.2021

प्रबंधक (उद्यान)

M P AGRO

दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल, मालवीय नगर, भोपाल
Phone: 2761392/2551652/2551756/2556857; FAX 2557305
Email: mpagrohobpl@gmail.com

मुख्या/आर सी ओ/उद्यान/2021–22/ दिनांक 2021

रेट कान्ट्रेक्ट आफर (आर सी ओ) सूचना

निगम द्वारा वर्ष 2021–22 व 2022–23 एवं आगे की अवधी में निगम के माध्यम से **संकर सब्जी बीज (Hybrid vegetable seed) के प्रदाय हेतु** निर्धारित आर्हताएं पूर्ण करने वाले आफरकर्ता रेट कान्ट्रेक्ट आफर आमंत्रित किये जाते है। आनलाईन रेटकांट्रेक्ट आफर प्रपत्र का कय online पद्धति से www.mptenders.gov.in में दिनांक 19.11.2021 अपरान्ह् 02.00 बजे से दिनांक 09.12.2021 को अपरान्ह् 01.00 बजे तक किया जा सकता है, निविदा प्रपत्र दिनांक 09.12.2021 अपरान्ह् 02.00 बजे तक अपलोड किए जा सकेंगे। रेटकान्ट्रेक्ट आफर की विस्तृत जानकारी www.mptenders.gov.in तथा निगम की वेबसाईट http://mpagro.org पर उपलब्ध है। निविदा में किसी भी प्रकार के संशोधन उपरोक्त वेबसाईट पर ही अपलोड किये जाएंगे एवं इसके लिए अलग से समाचार पत्र में कोई प्रकाशन नहीं किया जाएगा।

प्रबंधक (उद्यान)

दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल, मालवीय नगर, भोपाल

रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर (आर.सी.ओ.) संकर सब्जी बीज
Rate Contract Offer (RCO) Hybrid vegetable and Flower seed

यह दस्तावेज निम्नानुसार कुल 27 पृष्ठ का है :

कमांक	विवरण	परिशिष्ट कमांक	पृष्ठ कमांक
1	अस्वीकरणीय (DISCLAIMER)	परिशिष्ठ 1	5
2	कार्य के अवसर	परिशिष्ठ 1	5
3	ऑफरकर्ताओं को निर्देश	परिशिष्ठ 1	5–6
4	रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर की सामान्य शर्ते	परिशिष्ठ 2	7–12
5	तकनीकी योग्यता, दस्तावेजों का विवरण जिन्हें पोर्टल पर अपलोड किया जाना आवश्यक है तथा लिफाफा में प्रस्तुत किया जाना है का विवरण	परिशिष्ठ 3	13
6	प्रदाय के लिये रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रस्तुत करने हेतु आफरकर्ता की आहर्ताए	परिशिष्ठ 4	14
7	वित्तीय ऑफर का प्रारूप	परिशिष्ठ 5	15–21
8	राशि रू. 1000.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध का प्रारूप	परिशिष्ठ 6	22–23
9	रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर में हस्ताक्षर करने हेतु कम्पनी द्वारा जारी अधिकार पत्र	परिशिष्ठ 7	24
10	रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर में भाग लेने हेतु सहमति/घोषणा पत्र	परिशिष्ठ 8	25
11	ऑफरकर्ता का विस्तृत विवरण	परिशिष्ठ 9	26
12	रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर में भाग लेने हेतु कम्पनी द्वारा जारी डीलर को जारी अधिकार पत्र	परिशिष्ठ 10	27

M P AGRO

दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल, मालवीय नगर, भोपाल

निविदा में विभिन्न स्थानों पर जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, उनका तात्पर्य निम्नानुसार हैः–

निगम	दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. पंचानन भवन, तृतीय तल,मालवीय नगर भोपाल
कयकर्ता विभाग एवं प्राप्तकर्ता	विभाग जिनके द्वारा सामग्री क्रय के लिये आदेश दिया गया हो तथा प्राप्तकर्ता का अर्थ ऐसे विभागों के जिला/विकासखण्ड स्तर पर कार्यालय
आवेदन प्रपत्र/दस्तावेज	आवेदन पत्र एवं संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का उल्लेख रेट कान्ट्रेक्ट प्रपत्र में किया गया है।
आवेदक/आफरकर्ता	उत्पादक अथवा उनके द्वारा अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर/डीलर जिनके द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रकिया में भाग लिया गया हो
प्रदायक	ऐसे आफरकर्ता जिनकी दरें रेट कान्ट्रेक्ट आफर के अन्तर्गत अनुमोदित की गई हो तथा निगम से प्रदाय हेतु आफरकर्ता द्वारा अनुबंध किया गया हो
संकल्प धनराशि (ई एम डी)	आफरकर्ता द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रकिया में भाग लेने हेतु जमा की गई राशि
धरोहर राशि	आफरकर्ता की दरों के अनुमोदन एवं निगम के साथ अनुबंध होने की दशा में प्रदायक द्वारा किये गये प्रदाय के विरूद्ध निगम को वांछित सुरक्षा निधि है तथा संकल्प धनराशि (ई एम डी) की राशि के रूप में धरोहर राशि के रूप में परिवर्तित हो जाएगी।
विभाग	विभाग का आशय किसान कल्याण तथा कृषि विभाग एवं उद्यानिकी तथा अन्य को शासकीय विभागों से है
प्रबंध संचालक	प्रबंध संचालक से आशय निगम के प्रबंध संचालक से है

M P AGRO

दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल, मालवीय नगर, भोपाल

परिशिष्ट 1

1. अस्वीकरणीय (DISCLAIMER)

यद्यपि इस रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र को तैयार करने में पूर्ण सावधानियां बरती गई है तथापि रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र पूर्ण है इस बात की संतुष्टी आफरकर्ता स्वयं कर लेवें। रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र की किसी भी नियम/शर्तो के संबंध में कोई सुझाव/आपत्ति हो तो वह दिनांक 01.12.2021 अपरान्ह् 2.00 बजे तक ई–मेल के माध्यम से mpagrohobpl@gmail.com पर भेजी जाए । प्राप्त सुझाव/आपत्ति पर समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा तथा लिये गये निर्णय के संबंध में जानकारी **www.mptenders.gov.in** एवं **mpagro.org** पर अपलोड किया जाएगा । दिनांक दिनांक 01.12.2021 को अपरान्ह् 2.00 बजे के पश्चात् प्राप्त होने वाले सुझाव/आपत्ति को मान्य नहीं किया जाएगा तथा यह माना जाएगा कि रेट कान्ट्रेक्ट आफर की समस्त नियमों एवं शर्तो से सहमत होकर आफरकर्ता द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रस्तुत किया गया है ।

2. कार्य के अवसर :

यह निगम किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, उद्यानिकी एवं शासन के अन्य विभागों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आदानों का प्रदाय प्रदेश के सभी जिलों में स्थित निगम के जिला कार्यालय के माध्यम से करता है। विभिन्न योजनाओं में लगने वाली आदान सामग्रियों की दर निर्धारित करने हेतु यह रेट कान्ट्रेक्ट आफर आमंत्रित किया गया है। रेट कान्ट्रेक्ट आफर के अन्तर्गत वांछित सामग्रियों का व्यवसाय निगम के माध्यम से संभावित है किन्तु व्यवसाय की मात्रा निर्धारित नही है। ऑफरकर्ताओं को सामग्री का प्रदाय विकासखण्ड स्तर तक करना होगा ।

3. आफरकर्ता को निर्देश :

सभी योग्य आफरकर्ताओं से वांछित है कि वे रेट कान्ट्रेक्ट आफर के प्रत्येक पृष्ठ का तथा इसमे वर्णित शर्तो को सावधानीपूर्वक अध्ययन करे । रेट कान्ट्रेट ऑफर में दिये गये निर्देशानुसार ऑफर को वेबसाईट पर अपलोड करे। निगम द्वारा आनलाईन प्राप्त आफर को ही मान्य किया जावेगा। यदि ऑफरकर्ता द्वारा ऑफर अपलोड नही किया जाता है तथा केवल हार्ड कापी ही प्रस्तुत की जाती है तो ऐसे ऑफर को मान्य नही किया जाएगा।

रेट कान्ट्रेट ऑफर में वर्णित प्रपत्रों को 600 डी पी आई के रिजाल्यूशन में जे पी जी अथवा पी डी एफ फार्मेट में अपलोड करे ।यदि अपलोड किये गये प्रपत्र अपठनीय पाये गये तो आफरकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई हार्ड कापी को अंतिम मान्य किया जाएगा।

वेबसाईट से अपलोड किये गये आर सी ओ प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करते हुए तथा अपलोड किये गये प्रपत्रों की स्केन कापी दिनांक 09.12.2021 अपरान्हृ 5 बजे तक निगम मुख्यायल के उद्यानिकी कक्ष में उपलब्ध निविदा बॉक्स में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। कोविड महामारी या अन्य किसी कारण से लाक डाउन की स्थिती होने /परिवहन/ कोरियर सर्विस प्रभावित होने की स्थिती के यदि निगम को हार्ड कापी प्राप्त नहीं होती है तो आनलाईन प्राप्त दस्तावेज के आधार पर ही अंतिम निणर्य लिया जावेगा। आवेदक को अनुबंध के पूर्व हार्ड कापी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

सभी ऑफरकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि के पूर्व समस्त आवश्यक कार्यवाहियां कर लें जिससे अंतिम तिथि के दिन सर्वर, नेट वर्क आदि की समस्याओं के कारण आर.सी.ओ प्रस्तुत करने से वंचित न हों ।

4. <u>निविदा प्रस्तुत करने का समय एवं तिथियों तथा धरोहर राशि रेटकांट्रेक्ट प्रपत्र के मूल्य का विवरण</u>

आन लाईन रेटकांनट्रेक्ट आपर प्रपत्र का मूल्य GST सहित	राशि रू 5,900.00
आन लाईन निविदा पत्र का कय	www.mptenders.gov.in पर आवश्यक प्रोसेसिंग फीस का भुगतान कर दिनांक 19.11.2021 **को अपरान्ह् 2.00 बजे से 09.12.2021 अपरान्ह् 1.00 बजे तक**
संकल्प धन राशि (EMD)	200000/– (रू दो लाख मात्र)
आन लाईन निविदा प्रस्तुत करने की निर्धारित समय सीमा	**दिनांक** 19.11.2021 **को अपरान्ह् 2.00 बजे से 09.12. 2021 अपरान्ह् 2.00 बजे तक**
प्री बिड मीटिंग	दिनांक 26.11.2021 अपरान्ह 3.00 बजे एम पी स्टेट एग्रो इण्ड डेव्ह कापो लिमि पंचानन भवन तृतीय तल मालवीय नगर भेपाल में प्रबधंक (उद्यान) के कक्ष में होगी ।
निविदा पत्र (हार्डकापी में)टेण्डर बॉक्स में प्रस्तुत करने की निर्धारित समय सीमा	दिनांक 09.12.2021 अपरान्ह 5.00 बजे तक
आनलाईन तकनीकी निविदा तथा हार्ड कापी खोलने की तिथि	दि0 10.12.2021 अपरान्ह 3.00 बजे

5. योग्य पाये गये आफरकर्ताओं के वित्तीय प्रस्ताव खोले जाने की दिनांक एवं समय की जानकारी निगम के सूचना पटल एवं website पर दी जावेगी एवं योग्य प्रदायकों को ई–मेल पर सूचित किया जावेगा।

नोट– उपरोक्त दर्शित समय एवं तिथियों में परिवर्तन होने की दशा में इस आशय की सूचना का प्रकाशन निगम की website www.mpagro.org तथा www.mptenders.gov.in पर किया जावेगा। निविदाकारों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त निविदा के संदर्भ में बेवसाईट समय– समय पर देख कर प्रकाशित होने वाले संशोधन/सूचनाओं के प्रति अवगत हों।

प्रबंधक उद्यान

M P AGRO

दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल, मालवीय नगर, भोपाल

रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर की सामान्य शर्ते

वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं आगे की अवधि में अनुसार परिशिष्ठ 5 के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों को पूरा करने वाले सामग्रियों के प्रदाय हेतु परिशिष्ठ 6 के अनुसार निर्धारित आर्हताओं को पूर्ण करने वाले ऑफरकर्ताओं से रेट कांट्रेक्ट किये जाने हेतु दरें आमंत्रित की जाती है।

दरें सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में निगम के जिला कार्यालय के माध्यम से विकासखण्ड स्तर तक पहुंचाकर लागू रहेंगी।

वेबसाईट पर अपलोड किये जाने वाले दस्तावेजों की जानकारी **परिशिष्ट कमांक 3**, पर पर संलग्न हैं ।

रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर से संबंधित सामान्य शर्ते निम्नानुसार हैं :–

1. **ऑफर प्रस्तुत करने की आहर्ता –** रेट कांट्रेक्ट आफर में भाग लिये जाने हेतु ऑफरकर्ता की आर्हताएं **परिशिष्ट कमांक 4** अनुसार रहेंगी।
2. **आर सी ओ प्रपत्र का कय**– रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर प्रपत्र का मूल्य (वापसी योग्य नही) व निर्धारित तिथियों का विवरण **परिशिष्ट कमांक 1** है। तथा निर्धारित राशि का आनलाईन भुगतान कर ऑफरकर्ता इस प्रपत्र को वेबसाईट www.mptenders.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे।
3. **प्री बिड मीटिंग**– रेट कांट्रेक्ट आफर के संबंध में परिशिष्ट 1 के अनुसार उल्लेखित तिथी में निगम मुख्यालय में प्रबंधक (उद्यान) के कक्ष में आयोजित होगी। संभावित निविदाकार रेटकांट्रेक्ट के संबंध में अपनी आपत्तियां/सुझाव दिनांक नियत तिथी के पूर्व प्रस्तुत कर सकते है। आपत्तियों/सुझावों का निराकरण/समाधान कर तदानुसार आवश्यकता अनुसार संशोधन प्रपत्र में किये जा सकेंगे जो रेट कांट्रेक्ट प्रपत्र का हिस्सा कहलाएंगे । प्राप्त सभी सुझावों/आपत्तियों के संदर्भ में निगम के प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम होगा। यह आवश्यक है कि संभावित निविदाकार निविदा पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ कर शर्तों एवं कार्य के स्वरूप से भली–भांति परिचित हो कर आश्वस्त हो लें जिससे बाद में विवाद/संदेह की स्थिती न रहे ।
4. **ऑफर प्रस्तुत करने की प्रकिया**

(अ) वेबसाईट www.mptenders.gov.in से डाउनलोड किये गये रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ को हस्ताक्षरित करते हुए ऑफर के साथ अपलोड किया जाना एवं हार्ड कॉपी निगम मुख्यालय में निर्धारित समय एवं तिथि तक प्रस्तुत की जाना आवश्यक होगी। ई निविदा पद्धति के अन्तर्गत अपलोड किये गये दस्तावेज अपठनीय होने की दशा में ऑफरकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई हार्ड प्रति को अंतिम मान्य किया जाएगा।

(ब) एक ऑफरकर्ता से एक ही ऑफर स्वीकार किया जाएगा। यदि उत्पादक संस्था एवं उनके अधिकृत विकेता, दोनों ही के द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाते हैं तो ऐसे दोनों ऑफर्स को अमान्य किया जाएगा।

(स) रेट कांट्रेक्ट आफर की हार्ड कापी प्रस्तुत करने हेतु ''........................ सामग्री के प्रदाय हेतु रेट कांट्रेक्ट आफर तकनीकी विवरण '' का उल्लेख करते हुये में बंद लिफाफे में आफरकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। लिफाफा में प्रस्तुत किये जाने वाले वाले दस्तावेजो का विवरण **परिशिष्ठ कमांक 3** पर सलग्न है। आफरकार्तओं से अपेक्षा की जाती है कि सभी दस्तावेज जो उनके द्वारा आन लाईन निविदा में अपलोड किये गये है कि स्वप्रमामिणत प्रति लिफाफे में प्रस्तुत करें।

(द) आफरकार्तओं से अपेक्षा है कि हार्डकापी नियत तिथी तक निगम मुख्यालय के उद्यानिकी कक्ष में उपलब्ध निविदा बाक्स में प्रस्तुत कर देवें। यदि हार्डकापी कोरियर के माध्यम से भिजवाई गई है तो उचित समय से कोरियर की गई हो जिससे वह नियत तिथी तक निगम मुख्यलय में प्राप्त हो जावे।

(प) **वित्तीय आफर निर्धारित प्रारूप में केवल वेबसाईट पर अपलोड किये जाएगें ।**

(फ) **सशर्त** रेट कान्ट्रेक्ट– निगम द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र में उल्लेखित शर्तो के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की शर्त मान्य नही की जावेगी। सशर्त आफर को अमान्य किया जावेगा ।

(भ) **सेंपल प्रस्तुत किये जाना :** परिशिष्ठ कमांक 4 के बिन्दु कमांक C में उल्लेख अनुसार।

5. **दर प्रस्तुत करने संबंधी शर्त**

5.1 ऑफरकर्ता को **www.mptenders.gov.in** पर उपलब्ध वित्तीय निविदा (BOQ) में आन लाईन दरें प्रस्तुत की जाना होगीं। आवेदको की सुविधा हेतु वित्तीय निविदा (BOQ) परिशिष्ट 5 पर प्रदर्शित है।

5.2 ऑफरकर्ता द्वारा निगम को जो दर प्रस्तुत की जावेगी, वह 5 प्रतिशत निगम मार्जिन सहित सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में विकासखण्ड स्तर तक एफ.ओ.आर. एवं सभी प्रकार के व्यय/कर सहित होगी ।

5.3 ऑफरकर्ता द्वारा जो दर निगम को ऑफर की गयी है वह रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर की **शर्त कमांक 15** के तहत् न्यूनतम होना आवश्यक है ।

5.4 रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर के तहत **अनुमोदित दरें, दर सूची जारी होने से** 31.03.2023 तक **अथवा** निगम द्वारा नवीन दरों के निर्धारण तक, जो भी बाद में हो, लागू रहेंगी।

5.5 प्राप्त दरों पर साधारणतः किसी भी प्रकार की दर चर्चा नहीं की जाएगी अतः ऑफरकर्ताओं से अपेक्षा है कि वे अपनी न्यूनतम दर देवें। निगम के प्रबंध संचालक को यह अधिकार होगा कि वे निगम स्तर पर निर्धारित दर का प्रति प्रस्ताव ऑफरकर्ता को दें।

6. **ऑफर की वैधता** :–प्राप्त ऑफर खोले जाने की तिथि से 180 दिवस तक मान्यता हेतु वैध रहेंगे । अंतिम निर्णय न होने की दशा में इस तिथि के पश्चात भी निगम प्राप्त दरों पर आवश्यक निर्णय ले सकेगा यदि आफरकर्ता ने प्रस्तुत दरों को अमान्य करने हेतु लिखित में निगम को सूचित नहीं किया गया हो।

7. **रेट कान्ट्रेक्ट आफर का खोला जाना**

1. नियत तिथी तक प्राप्त आन लाईन आफर के तकनीकी प्रस्ताव निगम मुख्यलय में परिशिष्ट 1 के बिंदु कमक 4 में उल्लेखित तिथी एवं समय पर खोले जावेगें।
2. नियत तिथी तक प्राप्त हार्डकापी को उसी दिन खोला जावेगा।
3. आफर के खोले जाने की तिथी में परिवर्तन होने की दशा में निगम द्वारा इसकी सूचना का प्रकाशन निगम की बेबसाईट पर किया जावेगा।
4. परीक्षणोपरांत योग्य पाये गये आफर्स के वित्तीय प्रस्तावों को खोलने की दिनांक निगम की वेबसाईट पर अपलोड की जाएगी तथा निगम के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा की जाएगी ।
5. आफरकर्ताओं के अथवा उनके प्रतिनिधि की आफर खोले जाते समय नियत स्थान पर उपस्थिति हो सकते है।
6. रेट कान्ट्रेक्ट आफर सूचना में कोई संशोधन/परिवर्तन किये जाने की दशा में संशोधन/परिवर्तन की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित न करते हुए केवल उपर्युक्त पोर्टल/वेबसाईट पर दी जाएगी।

8. **आफरकर्ता का चयन** – आफरकर्ताओं द्वारा आर.सी.ओ. दस्तावेज में निर्धारित आर्हताओं व तकनीकी मांपदंड के अनुसार प्रस्तुत दस्तावेजों की समीक्षा निगम स्तर पर गठित समिति द्वार की जावेगी एवं समिति की अनुशंसा के अनुसार निर्णय लिया जा कर अर्हताओं की पूर्ती करने वाले निविदाकारों के वित्तीय प्रस्ताव खोले जाने का निर्णय लिया जा सकेगा। आफरकर्ताओं के चयन हेतु निगम के प्रबंध संचालक प्रक्रिया के निर्धारण हेतु स्वंतत्र है। निगम एक या एक अधिक संख्या में प्रदायकों का चयन रेट कांट्रेक्ट करने के लिये कर सकता है।

9. <u>संकल्प धन राशि (EMD) :</u>

1. रेट कान्ट्रेक्ट आफर के साथ संकल्प धन राशि (परिशिष्ठ क्रमांक 1 बिंदु क्रं 4 अनुसार) आन लाईन प्रस्तुत करना आवश्यक है। संकल्प धन राशि के अभाव में प्रस्तुत रेट कान्ट्रेक्ट आफर को अमान्य किया जायेगा। पूर्व में निगम में जमा संकल्प धनराशि/धरोहर राशि को इस रेट कान्ट्रेक्ट आफर के अन्तर्गत मान्य/समायोजित नही किया जाएगा।

2. **संकल्प धनराशि को जप्त किया जाना** –संकल्प धनराशि निम्न स्थितियों में जप्त की जा सकती है :–

2.1 निगम द्वारा आफरकर्ता के ऑफर को स्वीकृत/अमान्य/निरस्त करने के पूर्व अपना ऑफर वापस लिये जाने की दशा में।

2.2 ऑफर के साथ गलत जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने की दशा में।

2.3 आफरकर्ता द्वारा ऐसी कार्यवाही करने पर जिससे निगम की छबि को हानि पहुंचे।

2.4 दरे स्वीकृत होने की दशा में नियत समय में अनुबंध निष्पादित नहीं होने की दशा में।

10. <u>धरोहर राशि</u> :

(अ) आफरकर्ता द्वारा संकल्प धन राशि के रूप में जमा की गयी राशि आफरकर्ता के अनुबंध हस्ताक्षरित करने के पश्चात् धरोहर राशि के रूप में निगम के पास अनुबंध की प्रभावशीलता लागू होने तक जमा रहेगी।

(ब) अनुबंध की प्रभावशीलता **अवधि समाप्त होने के बाद** कोई **विवाद न होनें की दशा में** आफरकर्ता द्वारा लिखित में मांगे जाने पर धरोहर राशि बिना ब्याज के वापस की जा सकेगी।

(स) धरोहर राशि निम्न स्थितियों में जप्त की जा सकती है :–

(1) निगम आदेश के विरूद्ध निर्धारित समय सीमा में आदेशित सामग्री प्रदाय न किये जाने पर ।

(2) प्रदाय सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मांपदण्डों के अनुरूप न होनें की दशा में

(3) आफरकर्ता द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही करनें पर जिससे निगम की छवि को हानि पहुंचे/निगम को कोई व्यवसायिक हानि हो ।

(4) निगम के प्रबंध संचालक के निर्णयानुसार

11. <u>अनुबंध का निष्पादन–</u>

(अ) जिन आफरकर्ता(ओं) की दरों को स्वीकार किया गया है अथवा जिन आफरकर्ताओं को प्रतिप्रस्ताव दिया गया है तथा जिन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है, को निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट क. 8) में अनुबंध प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचित किया जावेगा।

(ब) आफरकर्ता को निगम से सूचना जारी होने की 15 दिवस की अवधि में अनुबंध का निष्पादन किया जाना आवश्यक होगा।

(स) नियत समय सीमा में अनुबंध निष्पादित नहीं किये जाने पर यह मान्य किया जावेगा की आफाकर्ता अनुबंध करने हेतु इच्छुक नहीं है, निगम रेट कांट्रेक्ट आफर के प्रावधान अनुसार संकल्प धन राशि जप्त कर सकेगा।

(ब) जिन आफरकर्ता(ओं) की दरों को स्वीकार किया गया है तथा ऐसे आफरकर्ता(ओं) द्वारा निर्धारित समय सीमा में निगम के साथ अनुबंध निष्पादित नहीं किया जाता है तो निगम आफरकर्ता द्वारा प्रस्तुत रेट कान्ट्रेक्ट आफर को अमान्य करते हुए जमा संकल्प धन राशि को जप्त (Forfeit) कर लेगा ।

(स) अनुबंध दिनांक 31.03.2023 अथवा समान सामग्रियों की हेतु नवीन अनुबंध होने तक जो भी बाद में हो, मान्य रहेगा।

(द) निगम से अनुबंध निष्पादित किये जाने के पश्चात आफरकर्ता को प्रदायक कहा जायेगा

12. **सामग्री के प्रदाय हेतु निर्धारित प्रकिया एवं समय सीमा**

1. प्रबंध संचालक द्वारा आवश्यकता अनुसार सामग्री के प्रदाय आदेश जारी किये जाने हेतु प्रबंधक उद्यान/ क्षेत्रीय कार्यालय/ जिला कार्यालय को अधिकृत किया जा सकेगा। इसका विवरण अनुमोदित दर प्रपत्र जारी किये जाने पर या मुख्यालय स्तर से पृथक से सूचना जारी की जा सकेगी।

2. प्रदायक द्वारा निगम के आदेशानुसार अधिकतम 15 दिवस के अंदर सामग्री प्रदाय करनी होगी। आवश्यकता अनुसार यह समय–सीमा घटाई भी जा सकती है । समक्ष प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रदाय आदेश जारी किये जाने के उपरांत आदेश में दी गई निर्धारित अवधि में मात्रा व पैकिंग के अनुसार निर्धारित मापदण्ड की गुणवत्ता पूर्ण सामग्री का प्रदाय किया जाना आवश्यक है।

3. निगम द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित की गई प्रदायगी की तिथि/स्थल के संबंध में प्राप्तकर्ता विभाग द्वारा परिवर्तन किया जाता है तो उसकी विधिवत सूचना प्रदायक को दी जावेगी। प्रदायक द्वारा नवीन शेड्यूल के मान से आदेशित सामग्री प्रदाय करना आवश्यक होगी। उक्तानुसार परिवर्तन होने की दशा में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान निगम द्वारा प्रदायक को नही किया जावेगा ।

4. परिवहन के दौरान आग, चोरी, एक्सीडेंट, टूटफूट आदि किसी भी प्रकार से सामग्री को हुए नुकसान की जवाबदारी प्रदायक की रहेगी। इस प्रकार से हुए नुकसान की भरपाई प्रदायक द्वारा ही पूरी की जाना होगी ।

5. केता विभाग की आवश्यकता अनुसार वांछित मात्रा में पैकिंग कर प्रदायक को प्रदायगी की जाना आवश्यक हैं। आवश्यकता अनुसार पैकेट पर सीड एक्ट / व राज्य/ केंद्र शासन के प्राधिकृत विभागों द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशों के अनुरूप जानकारी अंकित की जाना आवश्यक है।

6. आदेशित मात्रानुसार सामग्री निगम के जिला कार्यालय के माध्यम से निर्धारित विभाग/स्थान तक पहुंचाने की समस्त जवाबदारी संबंधित प्रदायक की रहेगी ।

7. प्रदायक द्वारा निर्धारित समय सीमा में सामग्री प्रदाय न किये जाने की दशा में ऐसी सामग्री के कन्साइनमेंट को प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति से ही मान्य किया जा सकेगा। प्रदायक द्वारा यदि प्रदायगी में विलंब किया जाता है एवं विलंब के कारण विभाग/निगम को हानि होती है तो इस हानि के लिए प्रदायक की जवाबदारी होगी, जिसकी वसूली निगम प्रदायक की धरोहर राशि एवं भुगतान हेतु निगम में प्रस्तुत अन्य देयकों से की जावेगी । हानि की राशि का निर्धारण निगम के प्रबंध संचालक द्वारा किया जावेगा जिसे प्रदायक द्वारा मान्य करना होगा। साथ ही निगम ऐसे प्रदायक की अनुमोदित दरों को निरस्त करते हुये जमा धरोहर राशि को जप्त कर सकेगा तथा ऐसे प्रदायक को आगामी 3 वर्ष के लिये प्रदाय से वंचित भी कर सकेगा।

8. सामग्री की गुणवत्ता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रदायक की रहेगी । किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर प्रदायक द्वारा निरीक्षण कर शिकायत का निराकरण किया जाएगा। उचित गुणवत्ता की सामग्री का प्रदाय नहीं किये जाने पर कयकर्ता/ उपयोगकर्ता को हुई हानी की भरपाई किये जाने का उत्तरदायित्व प्रदायक का रहेगा।

9. गुणवत्ता मानक स्तर की नहीं होने या प्रदाय में अन्य किसी भी प्रकार की विसंगति के चलते केता / उपयोकर्ता द्वारा निगम के विरूद्ध किसी भी प्रकार की न्यायालीन/ उपभोक्ता फोरम आदि में कार्यवाही की जाती है तो ऐसी कार्यवाही के कम में निगम द्वारा किये जाने वाले व्यय तथा सक्षम न्यायालय द्वारा संबंधित केता को किसी प्रकार की डिकी अरोपित की जाती है तो उसकी भरपाई प्रदायक को की जाना होगी/ निगम प्रदायक को देय भुगतान में से राशि का समायोजन कर सकेगा।

10. बीज के प्रकरण में निर्धारित मापदण्ड पूरे करने के बावजूद भी निम्न परिस्थितियों में संबंधित लाट अस्वीकृत करने का अधिकार निगम को रहेगा –

    1. बीज भीगा होने पर

2. प्रदायित बीज अशुद्ध होने पर

3. बीज घुना होने की दशा में

4. वांछित पैकिंग में न होने अथवा पैकिंग खुली/फटी होने की दशा में

11. बिना सक्षम प्राधिकारी के आदेश के कोई भी सामग्री का प्रदाय नहीं किया जावे। प्रदायक द्वारा किसी सामग्री का प्रदाय बिना निगम आदेश के क्रेता विभाग को किया जाता है तो प्रदाय की समस्त जिम्मेदारी प्रदायक की होगी। ऐसे प्रदाय के लिये प्रदायक द्वारा जारी देयक के भुगतान के लिये निगम जिम्मेदार नही होगा। विशेष परिस्थिती में बिना आदेश के प्रदाय की गई सामग्री को मान्य करने का निणर्य प्रबंध संचालक ले सकेगें।

13. **कन्साइनमेंट को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार** : आदेशानुसार निर्धारित मापदण्ड/ पैकिग / समय सीमा में सामग्री प्रदायक द्वारा प्रदाय किया जाना आवश्यक है। निम्न स्थितियों में प्रदायक द्वारा भिजवाया गया कन्साइनमेंट अस्वीकृत किया जा सकता है :–

(अ) उचित/निर्धारित पैकिग न होने की दशा में ।

(ब) निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के पश्चात् कन्साइनमेंट प्राप्त होने की दशा में ।

(स) बीजों के लिये शर्त क्र 14 (10) मे उल्लेखित परिस्थितियों में ।

यदि उक्त कारणो के आधार पर कन्सानइमेंट अस्वीकृत किया जाता है तो उसे निगम द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्रदायक को स्वयं के व्यय पर वापिस लेना होगा। किसी भी स्थिति में निगम कन्साइनमेंट वापिस होने से हुए नुकसान के लिए उत्तरदायी नही रहेगा ।

14. **भुगतान :–** समान्यत' निगम द्वारा ''भुगतान पश्चात् भुगतान'' की शर्त अनुसार प्रदायक के देयकों का भुगतान किया जावेगा :–

(अ) प्रदायक के देयक की 80 प्रतिशत राशि का भुगतान आदेशानुसार क्रेता विभाग से पावती/भौतिक सत्यापन रिपोर्ट (निगम के निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार प्राप्तकर्ता विभाग और निगम के अधिकारियों एवं प्रदायकर्ता के संयुक्त हस्ताक्षयुक्त पावती/भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर) प्राप्त होने एवं देयक की राशि प्राप्त होने की दशा में सामान्यतः 30 दिवस में किया जावेगा ।

(ब) देयक की शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान संबंधित विभाग से निगम के निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार प्राप्तकर्ता विभाग /कृषक तथा निगम के अधिकारियों की संयुक्त हस्ताक्षयुक्त संतुष्टि प्रमाणप पत्र की रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामान्यतः 180 दिवस में किया जावेगा किया जा सकेगा।

(स) यदि संबंधित विभाग द्वारा 180 दिवस की समय सीमा में संतुष्टि प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है व प्रदायित सामग्री के संर्दभ में किसी प्रकार की शिकायत भी प्राप्त नहीं हुई है व निगम को पूर्ण राशि भी प्राप्त हो चुकी हो तो निगम संबंधित विभाग को सूचित करते हुये शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान संबंधित प्रदायक को कर सकेगा।

15. प्रदायक द्वारा जो दरें निगम को प्रस्तुत की है वे दरें न्यूनतम होना आवश्यक है। निगम के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध के प्रभावशील रहने तक प्रदायकों द्वारा अनुमोदित दरों से कम दर पर अन्य संस्थाओं/व्यक्ति/शासकीय विभाग या उपक्रम को प्रदाय किये जाने की जानकारी निगम के संज्ञान में आती है तो प्रदायक द्वारा निगम के साथ किये गये अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गई समस्त सामग्री पर वही कम दर लागू मानते हुये अंतर की राशि की वसूली प्रदायक के भुगतान हेतु लंबित देयकों से की जावेगी। साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करते हुए प्रदायक की धरोहर राशि जप्त करने की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक उत्तरदायी रहेगें।

16. निगम शासकीय संस्थाऐं/ एग्री कल्चर यूनिवर्सिटी / कोआपरेटिव्ह सेक्टर को प्राथमिकता दे सकता है व धरोहर राशि जमा करने तथा सीधे अनुबंध करने की कार्यवही कर सकता है।

17. आफरकर्ता/प्रदायक द्वारा आफर प्रस्तुत किए जाने की दशा में यह मान्य किया जावेगा कि उनके द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र को पूर्णतः एवं भली–भांति पढ़ लिया गया है एवं वे सभी शर्तो पर सहमत है।

18. रेट कान्ट्रेक्ट आफर के तहत निर्धारित शर्तो के उल्लंघन पाये जाने की दशा में अथवा किसी भी प्रकार की गलत जानकारी/दस्तावेज दिए जाने की दशा में प्रबंध संचालक आफरकर्ता द्वारा

प्रस्तुत/ निगम द्वारा स्वीकृत आफर को निरस्त करने एवं आफरकर्ता द्वारा जमा की गई संकल्प धन राशि/धरोहर राशि को जप्त करने के अधिकारी होंगे। साथ ही संबंधित प्रदायक को निगम के माध्यम से 1 से 3 वर्षों तक के लिये प्रदायगी से वंचित भी किया जा सकता है । इस संबंध में प्रबन्ध संचालक का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

19. निगम के प्रबन्ध संचालक विशेष आवश्यक/ आपात स्थितियों में रेट कान्ट्रेक्ट आफर की किसी भी शर्त में परिवर्तन/ संशोधन करने के लिए स्वतंत्र रहेगे ।

20. यदि आवश्यक हुआ तो निगम द्वारा नामांकित अधिकारी किसी भी कार्य–दिवस में आफरकर्ता के प्रतिष्ठान/उत्पादन स्थल/गोडाउन का निरीक्षण कर सकेगे।

21. प्रदायक द्वारा रेट कांट्रेक्ट आफर की शर्तों के उल्लघंन किये जाने की दशा में प्रदाय के विरूद्ध पेनाल्टी लगाये जाने। शर्तों के उल्लघंन से होने वाली राशि निर्धारण कर उसकी वसूली प्रदायक से करने तथा अनुबंध को निरस्त कर धरोहर राशि जप्त करने तथा/अथवा प्रदायक को निगम के साथ निश्चित समय सीमा तक कार्य करने से प्रतिबंधित करने का अधिकार निगम के प्रबंध संचालक को रहेगा।

21. प्रदायक एवं निगम के बीच यदि कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो प्रकरण निगम के प्रबंधक (उद्यान) को प्रस्तुत किया जावेगा, उनके निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में प्रकरण निगम के प्रबन्ध संचालक को आरबीट्रेटर के रूप में प्रस्तुत किया जावेगा। आरबीट्रेटर के निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में प्रकरण भोपाल न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा।

22. यदि किसी भी न्यायालय के आदेश से निगम के प्रबंध संचालक के अतिरिक्त किसी अन्य को आर्बीट्रेटर नियुक्त किया जाता है तो ऐसे नियुक्त ऑर्बीट्रेटर की समस्त फीस ऑफरकर्ता/प्रदायकर्ता द्वारा वहन की जाएगी ।

प्रबन्धक(उद्यान)

परिशिष्ट 3

1. **तकनीकी योग्यता, दस्तावेजों का विवरण जिन्हें पोर्टल पर अपलोड किया जाना आवश्यक है तथा तकनीकी लिफाफा में प्रस्तुत किया जाना है का विवरण**

क्र	विवरण
1	भारत सरकार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वैज्ञानिकी एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग नई दिल्ली द्वारा जारी आर एन्ड डी मान्यता प्रमाणपत्र
2	निजी क्षेत्र के उत्पादक जिनके द्वारा रिर्सच किस्म का उत्पादन लिया गया है ऐसी रिसर्च किस्म के संबंध में कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जारी ट्रायल रिपोर्ट
3	आफर किये गये हायब्रिड बीज अथवा आयातित बीज * की किस्में मध्यप्रदेश के लिये अनुकूल है के संबंध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/अन्य राज्यों /केन्द्र शासन के संस्थानों/म.प्र. स्थित कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र/पत्र
4	आफर किये गये हायब्रिड बीज की वेराईटल केरेक्टरस्टिक के लिये ब्रीडर द्वारा जारी विस्तृत विवरण पत्र
5	मध्यप्रदेश में उद्यानिकी विभाग/ कृषि द्वारा जारी बीज विक्रय का वैध लायसेंस (सीड एक्ट 1966 तथा सीड कन्ट्रोल आर्डर 1983 के अन्तर्गत) जिसमें उत्पादक का नाम अंकित हो ।
6	बीजों को आयात करने की दशा में इम्पोर्ट/एक्सपोर्ट लायसेन्स एवं फाइटोसेनेटरी प्रमाणपत्र की स्व प्रमाणित प्रति *
7	आफरकर्ता फर्म का आयकर नम्बर (PAN)
8	विक्रय कर विभाग द्वारा जारी जी.एस.टी.नंबर (G.S.T.N.)
9	बीजों के संबंध में प्रिंटेड लिटरेचर
10	प्राईस लिस्ट जिसमें एम आर पी, डीलर प्राईस लिस्ट एवं प्रदाय की शर्तो का उल्लेख हो की स्व प्रमाणित प्रति
11	आफरकर्ता द्वारा परिशिष्ट 8 के अनुसार राशि रू 500/.. के नान ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर अन्डरटेकिंग
12	डाउनलोड किये गये रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर उपरांत आफरकर्ता द्वारा पूर्ण हस्ताक्षरित आर सी ओ प्रपत्र अपलोड किया जाना है।
13	वितरक होने की दशा में रेट कान्ट्रेक्ट आफर में भाग लेने के लिये उत्पादक द्वारा जारी वैध अधिकार पत्र (परिशिष्ठ क्रमांक 10) कंपनी होने की दशा में रेटकांट्रेक्ट आफर में भाग लिये जाने हेतु व अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के संबंध में कंपनी का इस संबंध में बोर्ड रिज्यूलेशन संलग्न किया जाना आवश्यक है।
14	वितरक होने की दशा में बीज विक्रय लायसेन्स की स्व प्रमाणित प्रति जिसमें उत्पादक का नाम अंकित हो
15	अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा रेट कांट्रेक्टर आफर व अनुबंध हस्ताक्षरित किये जाने हेतु सक्षम प्रधिकारी द्वारा जारी अधिकार पर। कंपनी होने की दशा में रेटकांट्रेक्ट आफर में भाग लिये जाने हेतु व अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के संबंध में कंपनी का इस संबंध में बोर्ड रिज्यूलेशन संलग्न किया जाना आवश्यक है।

आरसीओ की आवश्यकता अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने आवश्यक है । वांछित दस्तावेज के आभाव में निगम द्वारा आफर को अस्वीकृत किये जाने का निणर्य लिया जा सकेगा जिसके लिये आफरकर्ता स्वंय उत्तरदायी होगें।

* आवश्यकता होने पर अपलोड किये जाए

2. वित्तीय आफर –परिशिष्ट क्रमांक 5 के दिये गये प्रारूप में वित्तीय आफर अलग से वेबसाईट पर ही अपलोड किए जाना है तथा इसकी हार्ड कॉपी प्रस्तुत नहीं की जाना है ।

प्रदाय के लिये रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रस्तुत करने हेतु आफरकर्ता की आहर्ताएं

A- <u>ELIGIBILITY CRITERION FOR OFFERE</u>

1. Seed Producer having valid Seed Selling Licence and PAN and GSTN
2. Seed Producer should have In House R & D Unit duly recognised by Ministry of Science & Technology, Department of Scientific & Industrial Research Govt. of India New Delhi.

Or

Their Authorized distributor having valid Seed Selling Licence issued by Horticulture / Agriculture Department of Madhya Pradesh. (and PAN and GSTN Authority letter has to submit as per annexure 10 in ORIGINAL (Photo copy will not be accepted).

B- <u>CRITERION FOR SEED VARIETY ACCEPTABLE IN THIS RCO</u>

1- Propritery vegitable seed variety Produced by Seed Producer/ Imported seeds which are recommended for the state of Madhya Pradesh by ICAR (India Council of Agriculture Research or having Trial Reports for particular seed variety issued by Agriculture university of Madhya Pradesh / Any other Sate Agriculture university stating that the variety is suitable/recmonded for state of Madhya Pradesh.

2- Offere has to submit Breeder Certificate issued by Breeder stating varietal characteristics details of the crop (Attach self certified photocopy)

3- In case of imported seed, phytosanitary certificate has to be submitted.

4- Offere has to subimt Self Certified copy of Price List (giving details of Maximum Retail Price (MRP) and Dealer Price of each item along with terms and conditions) to authenticate the offered price to the Corporation.

C- <u>SAMPLES</u>

Offerer has to submit 3 samles of each vegitable seed variety for which rates are submitted. The samples seed packet must contain details as per seed act and any other statutory regulation

Samples thus submitted will not be return back

<u>Offerer has to upload and submit the self certified documents as stated above</u>

दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल,मालवीय नगर, भोपाल

31.07.2022 एवं आगे के लिये

वित्तीय आफर का प्रारूप (FANANCIAL OFFER) – प्रारूप

01. NAME OF THE OFFERER ....

PRICE SCHEDULE (FINANCIAL BID)

Sl. No.	Item Description	VARIETY To Be Filled by Offere	Nos	Units	BASIC RATE In Figures To be entered by the Bidder in	GST AMOUNT	TOTAL AMOUNT Without Taxes in	TOTAL AMOUNT With Taxes	TOTAL AMOUNT In Words
1	2	3	4	5	13	15	53	54	55
Hybrid vegitable seed									
1.01	TOMATO (1 KG)		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only
1.02	BOTTLE GOURD (1 KG)		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only

1.03	BITTER GOURD (1 KG)		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only
1.04	SPONGE GOURD (1 KG)		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only

1.05	OKRA (1 KG)		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only
1.06	CHILLY (1 KG)		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only

1.07	CAULI FLOWER (1 KG)		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only
1.08	PUMPKIN (1 KG)		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only

1.09	BRINJAL (1 KG)		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only
1.10	CABBAGE (1 KG)		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only

1.11	CAPSICUM (1 KG)		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only
1.12	WATER MELON (1 KG)		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only
1.13	MUSK MELON (1 KG)		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only

1.14	ONION (1 KG)		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only

:: अनुबंध का प्रारूप ::

(निगम द्वारा ऑफर मान्य करने की दशा में सूचित किए जाने पर राशि रू. 1000.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर नोटराइज करवाकर प्रस्तुत किया जाना है)

यह अनुबंध आज दिनांक .... को मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम जो कि कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत गठित शासकीय उपक्रम है तथा आगे इसे ''निगम'' कहा जावेगा एवं मेसर्स .... की ओर से श्री .... जिनके हस्ताक्षर अनुबंध पर है, जिन्हें आगे प्रदायक कहा जावेगा के बीच निष्पादित किया गया है ।

यह कि निगम द्वारा समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित कर ....प्रदाय हेतु दिनांक .... को रेट कान्ट्रेक्ट आफर आमंत्रित किये गये एवं प्रदायक द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र निगम की वेबसाईट से डाउनलोड करते हुए एवं रेट कान्ट्रेक्ट आफर की सभी शर्तो को मान्य करते हुए रेट कान्ट्रेक्ट आफर में भाग लिया गया है । रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र भी इस अनुबंध का हिस्सा है।

निगम द्वारा पत्र क्रमांक .... दिनांक .... से प्रदायक की रेट कान्ट्रेक्ट आफर में उल्लिखित दरों को मान्य करते हुए अनुबंध करने बाबत् कार्यवाही की गई है ।

निगम द्वारा प्रदायक की .... हेतु दरों को स्वीकृत किया गया है का विवरण संलग्न परिशिष्ट ''अ'' पर उल्लेखित है एवं प्रदायक रेट कान्ट्रेक्ट आफर की निर्धारित शर्तो अनुसार निगम के माध्मय से प्रदाय करने हेतु सहमत है ।

निम्नानुसार दस्तावेज/दस्तावेजों में उल्लेखित शर्ते एवं नियम अनुबंध का हिस्सा होंगे एवं अनुबंधकर्ता को मान्य होगें। शर्तो एवं नियमों का अनुबंधकर्ता उल्लंघन करता है तो निगम पूर्ण रूप से रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र अनुसार कार्यवाही करने हेतु पूर्ण रूप से अधिकारी रहेगा ।

1. रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र में उल्लेखित सभी शर्ते ।
2. प्रदायक का सहमति पत्र दिनांक ....
3. प्रदायक द्वारा प्रस्तुत रेट कान्ट्रेक्ट आफर व संलग्नक जानकारियां ।

उक्तानुसार उल्लेखित दस्तावेज/दस्तावेजों के उल्लेखित नियम व शर्ते अनुबंध का हिस्सा रहेंगे । अनुबंध के संबंध में निगम के प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम ओर मान्य रहेगा।

उक्तानुसार विवरण के आधार पर दोनों पक्ष के मध्य अनुबंध उल्लेखित दिनांक को संपादित किया जाता है ।

प्रदायक	उप महाप्रबंधक (उद्यान)
गवाह : 1. 2.	गवाह : 1. 2.

अनुबंध का परिशिष्ट अ

प्रदायक का नाम एवं पता ....

....

फोन नम्बर ....

फैक्स नम्बर ....

मोबाईल नं. ....

क्र0	बीज	प्रजाति	प्रदाय दर रूपये प्रति किलो सभी कर एवं 5 प्रतिशत निगम मार्जिन सहित एफ.ओ.आर. विकास खण्ड स्तर तक पहुंचाकर	
			अंकों में	शब्दों में

प्रदायक के हस्ताक्षर

एवं सील

AUTHORITY LETTER FOR AUTHORIZED SIGNATORY
(ON OFFRER'S LETTER HEAD)

We have gone through the terms and condition of Rate Contract Offer Document invited by the Corporation and Shri ……………… Designation (Aadhaar No. …………………) is hereby authorized to submit Rate contract Offer document for supply of ………….. on behalf of us.

We also undertake that the undersigned is authorized to sign this Certificate on behalf of the company.

Authorized Signatory
Seal
Name and Designation

(Signature of Shri ....)
VERIFIED
Authorized Signatory
Seal
Name and Designation

Note :

- *To be submitted in original.*
- *In Case of Company it should be supported with board resolution. In other case it should be issued by Proprietor/ Managing Partner.*
- *It should be supported with copy of Aadhar Number duly signed by the person signing the Documents*

दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल,मालवीय नगर, भोपाल

वर्ष 2021–22 में निगम के माध्यम से संकर सब्जी बीज के प्रदाय हेतु रेट कान्ट्रेक्ट आफर बाबत् सहमति पत्र एवं घोषणा पत्र

मैं ....मेसर्स ....की ओर से जो निगम द्वारा आमंत्रित रेट कान्ट्रेक्ट आफर में हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत हूँ । मेसर्स ....द्वारा जारी अधिकार पत्र की मूल प्रति संलग्न है। निगम के रेट कान्ट्रेक्ट आफर में उल्लेखित शर्तो के अनुसार .... के बीजों के प्रदाय करने हेतु सहमत हूँ ।

एम पी स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (निगम) द्वारा हमारे ऑफर को मान्य किये जाने की दशा में आदेशानुसार अनुबंध की समय सीमा में निर्धारित शर्तो एवं मापदण्ड अनुसार निर्धारित दरों पर आदेशित सामग्री समस्त मध्य प्रदेश में प्रदाय हेतु मैं/हम सहमत है । हम रेट कान्ट्रेक्ट आफर की सभी शर्तो से सहमत हैं एवं तदानुसार प्रदायगी का कार्य करेंगे । यदि अनुबंध उपरांत निगम द्वारा दिये गये आदेशों से संबंधित प्रदायगी में किसी प्रकार की शिकायत आती है अथवा रेट कान्ट्रेक्ट आफर की शर्तो का उल्लंघन होने से निगम को अथवा उनके हितग्राहियों को हानि होती है तो उस हानि की पूर्ति निगम हमारे द्वारा जमा की जा रही धरोहर राशि रूपये ..../– एवं हमारे बिलों से कर सकता है ।

हमारी फर्म किसी भी शासकीय संस्था/उपक्रम/बैंक द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं है तथा हमें न ही कभी प्रदाय के लिये दंडित किया गया है । इस संबंध में कोई भी कानूनी विवाद किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है ।

संकल्प धन राशि रूपये ..../– प्रस्तुत की जा रही है, जो हमारा ऑफर मान्य होने की दशा में में धरोहर राशि के रूप में निगम के पास जमा रहेगी ।

हमारे द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर की सभी नियम एवं शर्तो को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया गया है एवं हम तदानुसार सभी शर्तो पर पूर्ण रूप से सहमत हैं ।

दिनांक :

आफरकर्ता के हस्ताक्षर
एवं सील

गवाह

.... (हस्ताक्षर)

....

नाम एवं पता

(रूपये 500.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित एवं नोटराइज्ड कराकर प्रस्तुत करना है)

परिशिष्ठ कमांक 9

THE M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPN.LTD.
PANCHANAN, III FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL

DETAILS OF THE OFFERER

1	Name of Individual Offerer State Private or Public Limited / Co-operative Institution.	------------------------------------ -----------------------------------
2	Complete Postal address of the individual Offerer including name of Principal Officer/Person /Chairman/Managing Director	------------------------------
	PHONE NO. Fax. No.	Office : Mobile : Email :
3	E mail address	
4	Particular of the Registration certificate issued	Registration No: Date:
5	GST Registration number.	
6	Name/Names of Proprietors / Partners/Directors including full address (enclose partnership deed/ Memorandum & Articles of Association/ Society Registration (as the case may be).	
7	Name and address of Bankers with Telephone Numbers along with bank account no of offerer	Name of the Banker Name of the Branch Tel.No. Bank Account No
8	State whether Producer / Distributor / Dealer.	
9	Whether Debarred or penalized by any Central/State govt. organization at any time If the reply is yes, when & why give proper details (use separate sheet, if required).	Yes / No.
10	**Have you ever supplied any item to this Corporation, If yes, give details of item and year of supply.**	----------------------
11	Do you have any associate company(s)?	-----------------------
12	**Do your Directors / Partners have interest in some other Offerer/ Society. If yes, give details.**	----------------------
13	Is any of your relative working or serving in this Corporation in any capacity?	---------------------
14	Are you having any branch office? If yes, please give details of address, Telephone No. Fax No. etc.	---------------------

नोट– सुस्पष्टता के लिये जानकारी टाईप करके प्रस्तुत की जाये।

Signature of Offerer

AUTHORITY LETTER FOR DEALER
(On MANUFACTURER/IMPORTER'S LETTER HEAD)

This is to certify that M/s ----------------------- having it's office at ---------------------------------- (complete address) is our Authorized Distributor for Madhya Pradesh for Hybrid vegitable Seeds Produce/ Imported by our Company by this company.

We have gone through the terms and conditions of Registration cum Bid Registration document invited by the Corporation and we undertake that as a manufacturer/Importer, we are also responsible for the quality of material supplied against the contract through authorized distributor. We also undertake that we are not participating directly/ through any other dealer in the process.

We also undertake that the undersigned is autorised to sign this Certificate on behalf of the company.

Authorized Signatory
Seal
Name and Designation

Note :

- To be submitted in original.
- In Case of Company it should be supported with board resolution. In other case it should be issued by Proprietor/ Managing Partner.